झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

अधि०सं०-01/विविध (होल्डिंग टैक्स)-77/2017 न0वि0आ0 7891 राँची, दिनांक- 26/12/17

झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के नियम-20 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के निम्नांकित प्रावधानों को 31 मार्च 2018 तक शिथिल करते हैं :-

क्र0सं0	नियमावली के प्रावधान	शिथिलीकरण
i	ii	iii
1.	नियम-12.1 - यदि किसी वर्ष के लिए देय सम्पूर्ण धृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो कर दाता को 5 प्रतिशत की रियायत दी जायेगी।	नियम-12.1 - यदि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए देय सम्पूर्ण धृति कर का भुगतान दिनांक-31.03.2018 तक कर दिया जाता है, तो कर दाता को धृति कर जमा करने पर 5 प्रतिशत की रियायत दी जायेगी। यदि किसी धृतिस्वामी द्वारा बिना किसी रियायत के सम्पूर्ण धृति कर का भुगतान कर दिया गया है तो अनुमान्य 05 प्रतिशत रियायत को आगामी देय राशि के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा।
2.	नियम-12.2 - किसी देय धृति कर को नियम-11.1 में निर्दिष्ट समयावधि के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।	नियम-12.2 - वित्तीय वर्ष 2017-18 के किसी देय धृति कर को दिनांक 31.03.2018 तक चुकाए जाने की स्थिति में प्रसंगाधीन विलम्ब की अवधि के लिए कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3.	नियम-14 (1) - हर उस धृति का स्वामी, जिसकी धृति का धृति कर निर्धारण पूर्व में नहीं हुआ हो, इन नियमों के अधिसूचित होने के तीन माह के अन्दर अपनी धृति का स्वनिर्धारण करते हुए धृति कर का गणना करेगा तथा धृति कर का भुगतान नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित नगरपालिका को करेगा। परन्तु कोई कर दाता विहित समय के अन्दर नगरपालिका को धृति का स्वनिर्धारण कर भुगतान करने में असफल रहता है तो आवासीय सम्पत्ति पर दो हजार रूपया (2,000.00) और अन्य सभी सम्पत्तियों पर पाँच हजार (5,000.00) रूपया जुर्माना भुगतेय होगा।	नियम-14 (1) - हर उस धृति का स्वामी, जिसकी धृति का धृति कर निर्धारण पूर्व में नहीं हुआ हो, इन नियमों के अधिसूचित होने के तीन माह के अन्दर अपनी धृति का स्वनिर्धारण करते हुए धृति कर की गणना करेगा तथा धृति कर का भुगतान नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित नगरपालिका को करेगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 तक का सम्पूर्ण धृति कर दिनांक-31.03.2018 तक स्वनिर्धारण करते हुए भुगतान करने पर आवासीय सम्पत्ति कर दो हजार रूपया (2,000.00) और अन्य सभी सम्पत्तियों पर पाँच हजार (5,000.00) रूपया जुर्माना के भुगतान में छूट दी जायेगी। यदि किसी धृतिस्वामी द्वारा धृति कर

rk-udd_adhisuchana-121

		जमा करने के क्रम में किसी जुर्माना राशि का भुगतान कर दिया गया है तो भुगतान की गई ऐसी जुर्माना राशि को आगामी देय राशि के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा।

2. उपर्युक्त रियायत मात्र वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एक समव्यवहार के लिए दी जायेगी एवं भविष्य में यह रियायत आदेय नहीं होगी।

3. प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–19.12.2017 के मद संख्या–2 के रूप में स्वीकृत है।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

22.12.17

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

अधि०सं०–01/विविध(होल्डिंग टैक्स)–77/2017 न0वि0आ0 7891 **राँची, दिनांक–** 26/12/17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.12.17

सरकार के प्रधान सचिव।

अधि०सं०–01/विविध(होल्डिंग टैक्स)–77/2017 न0वि0आ0 7891 **राँची, दिनांक–** 26/12/17

प्रतिलिपिः– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन सभी स्थानीय नगर निकायों के महापौर, अध्यक्ष/सभी नगर निकाय/प्राधिकार, झारखण्ड/महाप्रबंधक, जुडको/सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.12.17

सरकार के प्रधान सचिव।